WIEGO
Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing

SOCIAL DESIGN COLLAB

अपने अधिकारों को जानें

क्या आप स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के तहत भारत में स्ट्रीट वेंडर्स को दिए गए अधिकारों के बारे में जानते हैं? सभी सरकारी अधिकारियों को उचित प्रशासनिक कार्रवाई कर स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, लॉकडाउन के वक्त भी । पता लगाने के लिए आगे पढ़ें!

स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014

इस अधिनियम का उद्देश्य शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों की रक्षा करना और स्ट्रीट वेंडिंग को विनियमित करना है।

इस अधिनियम के तहत क्या आता है?

1. स्ट्रीट वेंडर्स हमारे शहरों में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं और उनकी आजीविका को सुरक्षित करना आवश्यक है
2. सभी मौजूदा स्ट्रीट वेंडर्स को शहर की 2.5% आबादी तक वेंडिंग और आवंटित वेंडिंग जोन के प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे
3. टाउन वेंडिंग कमेटी (टी.वी.सी.) के ज़रिये भागीदारी प्रशासन की ज़रुरत है, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स के 40% प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है
4. जब तक स्ट्रीट वेंडर्स को वेंडिंग का प्रमाण पत्र जारी न किया गया हो तब तक उन्हें बेदखल या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता

टाउन वेंडिंग कमिटी

टाउन वेंडिंग कमिटी या टी.वी.सी. क्या है?

टी.वी.सी. एक सरकारी संस्था है जो कानून के तहत ज़िले, वॉर्ड और शहर में स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण करती है और वेंडिंग को नियंत्रित करती है।

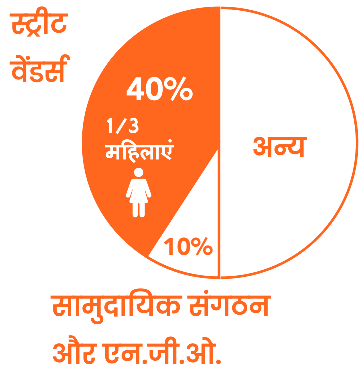

बेदखली से सम्बंधित अपने अधिकार जानें

बेदखली के कारण

उन स्ट्रीट वेंडर्स को बेदखल कर सकते हैं, जिनके वेंडिंग सर्टिफिकेट रद्द कर दिए गए हैं या जो बिना सर्टिफिकेट के वेंडिंग कर रहे हैं

30 दिन का नोटिस

30 दिन का नोटिस न मिलने तक किसी भी वेंडर को उसकी जगह से हटाया या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है

शारीरिक बेदखली

किसी स्ट्रीट वेंडर को तभी हटाया या स्थानांतरित किया जा सकता, जब वह 30 दिन के नोटिस समाप्त होने के बावजूद अपनी जगह न छोड़े

सामान ज़ब्त करना

स्ट्रीट वेंडर का सामान तभी ज़ब्त किया जा सकता है, जब वह 30 दिनों के नोटिस में बताई गई जगह को खाली न करे

सामान की पुनः प्राप्ति

यदि वेंडर अपने सामान को वापस लेने के लिए अधिकारी से अपील करते हैं, तो सामान उसी दिन वापस किया जाना चाहिए

आप खुद को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं?

- अपने दस्तावेजों की एक कॉपी हमेशा अपने पास रखें
- स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करें
- वेंडिंग पर सरकार की अनुमति की जानकारी रखें
- स्ट्रीट वेंडर संगठनों व एन.जी.ओ. से जुड़ें और मदद लें।

यदि कोई अधिकारी ऐसा निर्णय लेता है जो आपको प्रभावित करता है

- हमेशा बेदखली के लिखित नोटिस के लिए पूछें
- फोटो और वीडियो लेना याद रखें
- सरकारी आदेश, नीति या कानून के लिए पूछें

आप आर्थिक सहायता कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

स्ट्रीट वेंडर्स को महामारी से बचाने के लिए केंद्रीय सरकार ने PM-SVANidhi योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए, अपने नज़दीकी स्ट्रीट वेंडर एन.जी.ओ./ एसोसिएशन से संपर्क करें या सीधे PM-SVANidhi वेबसाइट https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/login पर लॉग इन करें।

मदद के लिए अपने स्ट्रीट वेंडर्स संगठन तक जाएँ और इस आर्थिक सहायता को प्राप्त करें।